## आईआईटी जमीन का मामला

## एचआरडी ने जिम्मेदार ठहराया प्रशासन को

भास्कर संवाददाता | इंदौर

जिला प्रशासन द्वारा आईआईटी को जमीन देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्रीय मानव

साइट मैप नहीं भेजा

» प्रशासन ने आईआईटी का साइट मैप भी नहीं भेजा।

» फॉरेस्ट लैंड के उपयोग को लेकर भी रिखति स्पष्ट नहीं थी। यदि यह रिखति स्पष्ट होती तो केंद्रीय वन सलाहकार समिति की आपत्ति उठती ही नहीं। संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आईआईटी के डायरेक्टर प्रदीप माथुर ने एचआरडी के उच्चाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आया था वह बेहद कमजोर था। अब बनेगा पेडों को

बचाने वाला प्रोजेक्ट-आपित के बाद आईआईटी प्रबंधन ने पेड़ों को बचाने वाला एचआरडी ने...

इसकी जिम्मेदारी संस्थान के पंकज पांडे और डॉ. रुचि शर्मा को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक सिमरोल की 500 में से 198 एकड़ जमीन वन विभाग के दायरे में है। इस्तें 80 एकड़ जमीन वन क्षेत्र (रिजर्व फॉरेस्ट) है। इसमें 7000 से ज्यादा पेड़ लगे हैं। केंद्रीय 71 सलाहकार समिति की आपित्त के बाद अब आईआईटी द्वारा इन पेड़ों की सु श्वित रखने की नई योजना बनाई

जा रही है जिससे निर्माण कम हो और वन भी संरक्षित रहे। डीएफओ मोहम्मद सईद खान ने बताया कि जो जमीन आईआईटी को दी जा रही है उसपर हमें कोई आपित नहीं है। जमीन के बदले मिली जमीन पर हम नया जंगल खड़ा कर देंगे। वहीं अपर कलेक्टर आनंद शर्मा का कहना है कि अभी तक केंद्र सरकार से कोई पत्र नहीं आया है। क्या आपित लगी है यह तो मीडिया से ही पता चला है। पत्र के जवाब से केंद्र को संतुष्ट करेंगे।